तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 62/2020 बनाम सरकार बनाम कन्या व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश कर नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 24.04.1976 को निरस्त करवाने हेतु पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पटवारी वरकाणा को प्रेषित पत्रांक 166–168 के अनुसार सिलिंग में अवाप्त शुदा भूमि का दिनांक 24.04.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया, जिसमें क्रम संख्या 3 व 4 पर अप्रार्थीगण के पिता/पति का नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण संख्या 494 की फर्द पर अंकित इबारत अनुसार जरिये आवंटन सीलिंग भूमि से 24.04.1976 होने से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है वह सीलिंग भूमि से सम्बन्धित है और सीलिंग भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश की अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 17 के उपनियम 4 के तहत की जाती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सुसंगत धारा के तहत प्रस्तुत नहीं किये जाने से पोषणीय नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण को इसी स्तर पर निष्पादित किया जाता है तथा प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे सुसंगत धारा के साथ, अप्रार्थी के वर्तमान पूर्ण पत्ते एवं सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर विधिक आधारों के साथ सक्षम न्यायालय में पेश करे। निर्णय की सत्यप्रति प्रार्थी को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर, पाली	